राजेन्द्र बनाम सरकार
2021/0320
निर्णय दिनांक 15.05.2023

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी—अलवर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2021 / 0320 दर्ज तिथिः— 03.02.2021

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामनिवास जाति महाजन निवासी ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी तह0 थानागाजी जिला—अलवर।

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः— श्री सुरेश शर्मा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः— पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित दर्ज चली आती है। उक्त आराजी प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक—17.04.1997 को धनश्याम [illegible] कौम ब्राहाम्ण थानागाजी से खरीद की थी। उक्त आराजी वर्णित हाल [illegible] 1288 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम थानागाजी की जमाबन्दी संवत 2073—2[illegible] में प्रार्थी की जाति महाजन के स्थान पर ब्राहमण व ग्राम थानागाजी के स्थान पर ढिगारिया अंकित [illegible] जबकि बन्दोबस्त संवत् 2060 व बयनामा में प्रार्थी की जाति महाजन अंकित है। [illegible] मिसल बन्दोबस्त संवत—2060 के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकन करते समय प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:48 IST
Reason: SelfAttested

की जाति सही दर्ज नहीं की गई है। इस प्रकार प्रार्थी की जाति व गांव का हाल राजस्व जमाबंदी में सही इन्द्राज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति ब्राहमण के स्थान पर महाजन व ग्राम ढिगारिया के स्थान पर थानागाजी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जॉच रिपोर्ट दिनांक–01.03.2023 को प्रस्तुत की। पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति व गांव सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की जाति ब्राहमण के स्थान पर महाजन व ग्राम ढिगारिया के स्थान पर थानागाजी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी की जाति ब्राहमण व ग्राम ढिगारिया हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2073–76 वाके ग्राम थानागाजी के नवीन खाता संख्या 958 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
राजेन्द्रप्रसाद पुत्र रामनिवास **जाति–ब्राहमण सा.ढिगारिया** खातेदार	1288	0.80 है0

4. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम थानागाजी का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार है:–

बन्दोबस्त संवत् 2060		बन्दोबस्त संवत् 2028	
खसरा	रकबा	खसरा	रकबा
1288	0.80 है0	1194	03 बीघा 03 बिस्वा

5. प्रकरण में मुताबिक मिसल जमाबंदी बन्दोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम थानागाजी के खाता संख्या 763 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	जाति	साबिक आराजी खसरा संख्या	रकबा
राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामनिवास कोम महाजन सा. देह खातेदार	महाजन	1288	0.80 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:48 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार साबिक रिकॉर्ड मिसल जमाबंदी बन्दोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम थानागाजी के खाता संख्या 763 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की जाति **ब्राहमण** न होकर **महाजन** तथा निवासी **सा. देह** दर्ज रिकॉर्ड है।

6. इस प्रकार शामिल मिसल पंजीकृज बयनामा दिनांक 17.04.1997 का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है:–

खसरा	रकबा	विक्रेता	क्रेता
1194	03 बीघा 03 बिस्वा	घनश्याम पुत्र सेढा कोम ब्राहमण हरियाणा	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामनिवास कोम महाजन निवासी थानागाजी

इस प्रकार पंजीकृज बयनामा दिनांक 17.04.1997 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की जाति **ब्राहमण** न होकर **महाजन** तथा निवासी **थानागाजी** है।

7. इस प्रकार शामिल मिसल नामान्तकरण संख्या 1128 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है:–

खसरा	रकबा	पूर्व की प्रविष्टि	पश्चात की प्रविष्टि
1194	03 बीघा 03 बिस्वा	घनश्याम पुत्र सेढा कोम ब्राहमण हरियाणा सा. देह खातेदार हिस्सा–1/3 बाकी बदस्तूर	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामनिवास कोम **महाजन** साकिन देह खातेदार हिस्सा–18/63 बाकी बदस्तूर हिस्सा–45/63

इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 1128 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की जाति **ब्राहमण** न होकर **महाजन** तथा निवासी **थानागाजी** है।

8. प्रकरण में विभिन्न हाल दस्तावेजों में प्रार्थी की जाति महाजन व गांव थानागाजी अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

दस्तावेज का विवरण	गांव	जाति
पेन–कार्ड	थानागाजी	गुप्ता
आधार कार्ड	मुख्य मार्केट थानागाजी	गुप्ता

इस प्रकार हाल दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की जाति **महाजन** व गांव **थानागाजी** है।

9. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:48 IST
Reason: SelfAttested

- *मुताबिक नामान्तकरण संख्या 1128 बयनामा दिनांक 15.07.1997 एवं मिसल बंदोबस्त संवत 2060 के खाता संख्या 763 के अनुसार प्रार्थी राजेंद्र पुत्र रामनिवास हिस्सा 18/63 कोम महाजन सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में भी जाति महाजन दर्ज है।*
- *मजमेआम में जॉच करने पर उपस्थित व्यक्तियों के बताया कि प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र रामनिवास की जाति **महाजन** है।*

10. उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी में हाल राजस्व रिकॉर्ड में जाति का सही अंकन नहीं है। मुताबिक बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम थानागाजी प्रार्थी की आराजी का विवरण बिन्दू संख्या–3 के अनुसार है। बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम थानागाजी की मिसल अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का विवरण बिन्दू संख्या–5 के अनुसार है। बिन्दू संख्या–5 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति महाजन अंकित है। उक्त जाति का अंकन बाद के राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया है। इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी की जाति साबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज महाजन को बाद के राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखा जाना चाहिए था। साथ ही प्रार्थी थानागाजी का निवासी है। अतः साकिन ढिगारिया के स्थान पर साकिन थानागाजी/साकिन देह किया जाना उचित है। परन्तु बाद के राजस्व रिकॉर्ड में जाति तथा साकिन संबंधी राजस्व इन्द्राज में परिवर्तन कर दिया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक रिकॉर्ड व तहसीलदार थानागाजी की जॉच रिपोर्ट व नामान्तकरण संख्या 1128 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी व अन्य दस्तातेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 मिसल बन्दोबस्त संवत्–2060, नामान्तकरण संख्या 1128 दिनांक 15.07. 1997 व अन्य दस्तातेजात व तहसीलदार थानागाजी की जॉच रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी में जाति ब्राहमण को कलमजन कर जाति महाजन तथा साकिन ढिगारिया को कलमजन कर साकिन थानागाजी अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:48 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)